न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी- मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/83

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा राज.

– **अपीलांट**

बनाम

1. इन्दु भटनागर पत्नि बृजमोहन/जगमोहन जाति कायस्थ
2. नीरा पुत्री जगमोहन (पत्नि परितोष पी. मानीषी) जाति कायस्थ
   निवासीगण म.नं. 1–क–29, विज्ञान नगर, कोटा।
3. उपपंजीयक कोटा।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–

1. श्री जानकीलाल मीणा, नायब तहसीलदार लाडपुरा, अपीलांट की ओर से ।
2. श्री वी.के. सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पो. 1, 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 31.07.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 06/2023 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल ख0नं0 101 रकबा 1.32 है० आराजी वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में वादीगण एवं सह खातेदार नवीन पुत्र जगमोहन के नाम शामलाती रूप से गैर खातेदारी में दर्ज रेकार्ड है। सहखातेदार नवीन की मृत्यु दिनांक 09.01.2009 को लाऔलाद एवं अविवाहित हो चुकी है। इस प्रकार उक्त आराजी पर वादीगण ही बहैसियत व संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त चले आ रहे हैं। वादीगण के पूर्वज कन्हैयालाल पुत्र गजानन्द जाति कायस्थ थे जिन्हें तत्कालीन कोटा रियासत द्वारा माफी खेल चाकरी पेटे बहुक्म महकमा खास ता०

31.03.1910 से मौजा कैथोड़ी निजामत लाडपुरा राज कोटा की साबिक खसरा नं० 28 की 7 बीघा 19 बिस्वा माफी भूमि प्रदान की गई थी जिसे कन्हैयालाल पुत्र गजानन्द जी माफीदार की हैसियत से निरन्तर काश्त करते रहे। वादीगण के पूर्वज कन्हैयालाल पुत्र गजानन्द की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी इन्तकाल संख्या 45 दिनांक 24.03.1928 से लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल जी के नाम माफीदारी में दर्ज की गई। माफीदार लक्ष्मीनारायण जी की मृत्यु उपरांत उक्त आराजी बहुक्म निजामत दिनांक 15.05.1936 से जर्ये इन्तकाल संख्या 104 से उक्त आराजी रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार हरिकृष्ण पिसरान लक्ष्मीनारायण जाति कायस्थ के नाम माफी चाकरी खेल भराई देहराजा खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड की गई। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनः ग्रहण अधिनियम 1952 लागू होने के समय उक्त भूमि राजस्व अभिलेख (खाता) में रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण पिसरान लक्ष्मीनारायण जाति कायस्थ के नाम माफी चाकरी खेल भराई देहराजा खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड थी तथा उनके कब्जे काश्त में थी। दिनांक 28.07.1959 को उक्त आराजी माफी से मुक्त की गई। माफी रिज्यूम होने के उपरांत तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने के समय सम्वत 2012 में वादीगण के पूर्वज सब टीनेन्ट/खातेदार की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज थे तथा राजस्व अभिलेख में भी उनका नाम सब टीनेन्ट खातेदार की हैसियत से दर्ज रेकार्ड था। इस कारण उक्त श्री रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण पिसरान लक्ष्मीनारायण जी काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कानूनन (By Operation at Law) उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन गये थे। सम्वत 2016 से 2024 में गत भू-प्रबंध के दौरान श्री रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण पिसरान लक्ष्मीनारायण जी की खातेदारी (माफी चाकरी खेल भराई) की उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 18 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा कायम किये गये। उक्त भू-प्रबंध के दौरान भूप्रबंध अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उक्त भूमि उपरोक्त खातेदारों के खातेदारी में दर्ज करने के बजाय अवैध एवं गैर कानूनी रूप से उनकी गैर खातेदारी में दर्ज कर दी। जबकि भू-प्रबंध से पूर्व उक्त आराजी उनके बतौर सब टीनेन्ट खातेदारी में दर्ज थी तथा कानूनन रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण पिसरान लक्ष्मीनारायण जी उक्त भूमि के खातेदार कृषक हो गये थे तथा उक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी थे। उक्त खातेदारान अपने जीवनकाल तक निरन्तर उक्त भूमि पर बहैसियत खातेदार निरन्तर काबिज होकर काश्त करते रहे हैं तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत से उनके वारिसान की हैसियत से वादीगण बहैसियत खातेदार उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त है तथा उक्त भूमि अपने खाते दर्ज करवाने के विधिक अधिकारी हैं। अतिरिक्त जिलाधीश महोदय कोटा के आदेश संख्या रीडर/79/3244 दिनांक 11.10.1979 के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

मुताबिक उक्त आराजी इन्तकाल संख्या 30 दिनांक 11.01.1980 से माफी रिज्यूम्ड जदीद खालसा रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण बेटे लक्ष्मीनारायण के बजाय माफी रिज्यूम्ड रूपलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति कायस्थ के नाम खाते दर्ज करने का आदेश हुआ किन्तु हाल सेटलमेंट में उक्त आराजी रूपलाल जी के खाते दर्ज करने के बजाय अवैध एवं गैर कानूनी रूप से पुनः गैर खातेदारी में दर्ज कर दी। हाल भू–प्रबंध सम्वत 2038–57 के दौरान वादीगण के कब्जे काश्त की उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 101 रकबा 1.32 हैक्टर कायम कर उक्त आराजी मिसल नम्बर 719/82 दिनांक 05.07. 1982 से श्रीमान ए.एस.ओ. साहब लाडपुरा के आदेशानुसार खातेदार रूपलाल की मृत्यु हो जाने के कारण उक्त आराजी रूपलाल के स्थान पर श्रीमती मेहताब कुमारी पत्नी रूपलाल, जगमोहन, सतीश पिसरा रूपलाल जाति कायस्थ के नाम दर्ज की गई। तत्पश्चात श्रीमती मेहताब कुमारी व सतीश की लाऔलाद मृत्यु होने से उक्त आराजी जगमोहन के नाम दर्ज की गई। खातेदार जगमोहन की मृत्यु उपरांत जर्ये इन्तकाल संख्या 104 दिनांक 07.04.2006 उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज की गई। माफी रिज्यूम होने के उपरांत तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रभाव में आने अर्थात सम्वत 2012 में वादीगण के पूर्वज श्री रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण पिसरान लक्ष्मीनारायण जी सब टीनेन्ट की हैसियत से दर्ज रेकार्ड होना प्रमाणित है तथा तब से निरन्तर वादीगण के पूर्वज तथा उनके वारिसान अर्थात वादीगण का कब्जा एवं काश्त होना स्पष्ट एवं प्रमाणित है। उक्त आधार पर श्री रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण पिसरान लक्ष्मीनारायण जी तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत उनके वारिसान अर्थात वादीगण उक्त भूमि के कानूनन कृषक हो गये हैं तथा उक्त भूमि अपनी खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। तत्पश्चात अतिरिक्त जिलाधीश कोटा के आदेशानुसार उक्त आराजी रूपलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के नाम माफी रिज्यूम्ड कर खाते दर्ज करने का आदेश हुआ किन्तु वर्तमान भू–प्रबंध विभाग द्वारा अवैध एवं गैर कानूनी रूप से भू–प्रबंध के दौरान उक्त भूमि श्री रूपलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण जी के खातेदारी में दर्ज करने के स्थान पर गलत रूप से गैर खातेदारी में दर्ज की है। वादीगण श्री रूपलाल पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण जी के वारिसान की हैसियत से राजस्व अभिलेख की उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाकर उक्त भूमि अपने खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। वादीगण ने अगस्त 2022 में प्रतिवादी को आवेदन कर उक्त भूमि वादीगण की गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया किन्तु प्रतिवादी द्वारा दो माह से अधिक का समय गुजरने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इस कारण मजबूरन वादीगण को माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का वाद कारण उक्त भूमि वादीगण के पूर्वजों के

खातेदारी में दर्ज करने के बजाये सेटलमेंट विभाग द्वारा अवैध एवं गैर कानूनी रूप से गैर खातेदारी में दर्ज कर देने तथा वादीगण द्वारा अगस्त 2022 में प्रतिवादी से उक्त भूमि वाटीगण की गैर खातेदारी से खातेदारी में दर्ज करवानेका अनुरोध करने के उपरांत भी कोई कार्यवाही नहीं करने पर उत्पन्न हुआ है । अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर निम्न आशय की निर्णय व डिक्री सादिर फरमाई जावे किः–(1) कि ग्राम कैथोड़ी तहसील लाडपुरा जिला कोटा की हाल ख0नं0 101 रकबा 1. 32 है० की भूमि में से मृतक खातेदार नवीन पुत्र जगमोहन के लाऔलाद व अविवाहित फोत हो जाने के कारण खाते से नाम विलोपित कर वादीगण को समभाग से बराबर–बराबर हिस्से का खातेदार घोषित फरमाया जाकर तद्नुसार राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दर्ज किये जाने का निर्णय डिक्री सादिर फरमाई जावे। (2) कि प्रतिवादी को राजस्व अभिलेख में उक्त प्रकार से अमल दरामद करने का निर्देश फरमाकर उससे पालना रिपोर्ट सादिर मंगवाई जावे। (3) कि अन्य वाद व्यय व अन्य न्यायोचित सहायता जो आवश्यक हो वादीगण को प्रदान फरमाई जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 13.02.2024 को वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा की आराजी खसरा नम्बर 101 रकबा 1.32 हैक्टेयर का वादीगण को खातेदार घोषित किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.02.2024 के परीक्षण एवं विश्लेषण में समय लगा तथा अपीलांट की राजकार्य में अत्यधिक व्यस्तता के कारण अपील नहीं कर पाए, जो काबिल माफी है। अपील पेश करने में देरी जानबूझकर नहीं बल्कि उक्त कारणवश हुई है जो काबिल माफी है। अपीलांट की अपील पेश करने की डिले कन्डोन की जाकर अपील अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर सुनवाई का आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय न्याय संचिका के सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्टगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट के विरूद्ध धारा 88, 89 आर.टी. एक्ट 1955 के तहत वाद पेश किया था। उक्त वाद में यह सहायता चाही गई थी कि ग्राम कैथोडी तहसील लाडपुरा के ख.नं. 101 रकबा 1.32 है. वादीगण व सहखातेदार नवीन पुत्र जगमोहन के नाम शामलाती रूप से गैर खातेदार दर्ज है जिन्हें खातेदार घोषित किया जाकर उक्त आराजी को उनकी खातेदारी में दर्ज किया जावे, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार किया जाकर डिक्री करने की भारी भूल की है, जो निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय द्वारा खोतदारी दिये जाने के पृथक से नियम बने हुये हैं, उनका अवलोकन किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया जो कि निरस्तनीय है। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त भूमि को रेस्पो. के खाते दर्ज करने के आदेश पारित करने में त्रुटि कारित की है जबकि उक्त भूमि गैरखातेदारी में दर्ज है, जबकि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम–1970 के नियम–18 में गैरखातेदार को खातेदारी अधिकार दिये जाने के पृथक से नियम बने हुये हैं एवं शर्तों की पालना अनुसार खातेदारी दिए जाना तथा राज्य सरकार की अधिसूचना सं प.9 (15) राजस्व–6/2005–81/44 दिनांक 06.09.2007 (17.09.2007 को राजस्थान राजपत्र) में प्रकाशित द्वारा जोडे गये परन्तुक अनुसार– "यदि ऐसी भूमि आवंटन के समय अधिनियम की धारा 90–ए में यथा उल्लेखित नगरीय क्षेत्र की सीमा में/उपांत पट्टी के भीतर नहीं थी और तत्पश्चात् नगर सुधार न्यास/नगर निगम/नगर परिषद् के नगरीय क्षेत्र को नगरीय सीमा/उपांत पट्टी में सम्मिलित कर ली गई, खातेदारी अधिकार कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से और जिला स्तरीय कमेटी द्वारा क्षेत्र के लिए यथा अवधारित भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत का संदाय करने पर प्रदत्त किया जायेगा।" उपरोक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय ने खातेदारी अधिकारी दिये जाने की शर्तों / निबन्धनों की पालना किये बिना ही खातेदार अधिकार दिये है जो कि निरस्त योग्य है। उपरोक्त प्रकरण में

राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 की पालना किये बिना अर्थात् बिना संदाय भुगतान ही खातेदार अधिकार दिये है जो काबिल निरस्त है। माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद में तनकियात कायम किये बिना निर्णय पारित किया है जो सी. पी.सी. प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। राज्यहित नुकसान की जानकारी होते ही यह अपील मियाद अवधि में प्रस्तुत है, वैसे भी उक्त निर्णय एवं डिक्री आरम्भतः शून्य होने से इस पर समय अवधि के प्रावधान लागू नहीं होते। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी वादीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के पूर्वज कन्हैयालाल पुत्र गजानन्द को तत्कालीन कोटा रियासत द्वारा माफी खेल चाकरी पेटे बहुक्म महकमा खास दिनांक 31. 03.2010 से प्रदान की गई थी जिस पर कन्हैयालाल बहैसियत माफीदार निरन्तर काबिज होकर कश्त करते चले आ रहे है। कन्हैयालाल की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी जर्ये नामान्तरकरण संख्या 45 दिनांक 24.03.1928 से लक्ष्मीनारायण पुत्र कन्हैयालाल के नाम तथा लक्ष्मीनारायण की मृत्यु के पश्चात वादग्रस्त आराजी दिनांक 15.05.1936 से इन्तकाल संख्या 104 से लक्ष्मीनारायण जी के वारिसान के माफी खेल भराई देहराजा खातेदार की हैसियत से दर्ज हो गई। राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनःग्रहण अधिनियम 1952 के लागू होने के दौरान वाग्रस्त आराजी लक्ष्मीनारायण के वारिसान के नाम माफी खेल भराई देहराजा खातेदार की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड थी तथा उनके कब्जे काश्त में थी। दिनांक 28.07.1959 को उक्त आराजी माफी से मुक्त की गई तथा माफी रिज्युम होने के उपरांत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के समय सम्वत् 2012 में वादीगण के पूर्वज सब टीनेन्ट की हैसियत से उक्त भूमि पर काबिज थे तथा उनका नाम सब टीनेन्ट की हैसियत से दर्ज रिकॉर्ड था इस कारण लक्ष्मीनारायण जी के वारिसान रूपलाल, प्रभूलाल, श्यामलाल, चेतन कुमार, हरिकृष्ण कानूनन उक्त भूमि के खातेदार कृषक बन गये थे। भू-प्रबन्ध के दौरान भू-प्रबंध के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजी अवैध रूप से लक्ष्मीनारायण जी के वारिसान की गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई। अतिरिक्त जिलाधीश महोदय कोटा के आदेश दिनांक 11. 10.1979 के आधार पर खोले गए इन्तकाल संख्या 30 दिनांक 11.01.1980 से वादग्रस्त आराजी माफी रिज्युम होकर लक्ष्मीनारायण जी के समस्त वारिसान के बजाए माफी रिज्युम्ड रूपलाल पुत्र लक्ष्मीनारायण के खाते दर्ज करने का आदेश हुआ किन्तु हाल भू-प्रबन्ध में वादग्रस्त आराजी रूपलाल के खाते दर्ज करने के स्थान पर अवैध एवं गैर कानूनी रूप से पुनः गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो त्रुटिपूर्ण है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी को स्वयं के खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने जवाबदावा प्रस्तुत किया है। उभयपक्षकारान के अभिकथनों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में समुचित तनकीयात कायम

की गई है। उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अंकित कथनों को रेस्पोडेन्टगण वादीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रमाणित करवाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना करते हुए तनकीवार निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार की विधिक एवं प्रकियात्मक त्रुटि नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों व राजस्व रिकॉर्ड का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः न्यायहित में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कैथोड़ी तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 101 रकबा 1.32 हैक्टेयर भूमि का खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2071 से 2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजी इन्दु पत्नि जगमोहन, नवीन पुत्र जगमोहन तथा नीरा पुत्री जगमोहन के खाते समभाग में दर्ज रिकॉर्ड है। वादीगण रेस्पोडेन्टगण का कथन है कि नवीन पुत्र जगमोहन की अविवाहित व लाऔलाद मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02. 2024 में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम कैथोड़ी की खसरा नम्बर 101 रकबा 1.32 हैक्टेयर भूमि का वादीगण को खातेदार

<u>अपील संख्या 2025/83</u>

<u>राज. सरकार बनाम इन्दु वगै.</u>

घोषित किए जाने तथा राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण का नाम बतौर खातेदार दर्ज किए जाने का आदेश अंकित किया है। अपीलांट का कथन है कि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम(कृषि हेतु भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 18 में गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के नियम एवं शर्तों का उल्लेख है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.9(15) राजस्व–6 / 2005–81 / 44 दिनांक 06.09.2007 के द्वारा जोड़े गए परन्तुक के अनुसार यदि आवंटन के पश्चात आवंटनशुदा भूमि शहरी निकाय की सीमा में सम्मिलित किए जाने पर खातेदारी अधिकार कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से तथा जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित भूमि के बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत संदाय करने के उपरांत ही प्रदान किया जा सकता है। अतः अपीलांट का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 की पालना किए बिना तथा निर्धारित संदाय का भुगतान किए बिना ही खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया है। परन्तु तहसीलदार लाडपुरा अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत अपने जवाबदावे में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 के परिप्रेक्ष्य में वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के सम्बंध में कोई आपत्ति प्रकट नहीं की गई है। साथ ही तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद में अंकित तथ्यों के विपरीत कोई कथन अंकित नहीं किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार लाडपुरा द्वारा सरकार के हितों को दृष्टिगत रखे बिना ही जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है जो तहसीलदार लाडपुरा की गंभीर लापरवाही को दर्शाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 की पालना में वादग्रस्त आराजी के खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने के सम्बंध में कोई तनकी कायम नहीं की गई है तथा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 के अनुसार खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने हेतु निर्धारित संदाय का भुगतान वादीगण द्वारा किए जाने बाबत किसी प्रकार का अंकन भी अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 में नहीं किया गया है। हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 की पालना में वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार प्रदान किए जाने से पूर्व संदाय का निर्णारण किए बिना ही निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। हमारे मत में राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.09.2007 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के संदाय का निर्धारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना उचित है अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर मुख्यालय कोटा, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 6/2023 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 13.02.2024 निरस्त की जाती है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को पुनः जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करें तथा उभयपक्षकारान को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए सी.पी.सी. के आदेश 20 नियम 5 की पालना में नवीन निर्णय पारित करें। तहसीलदार लाडपुरा को आदेशित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रकरण में राज्य हितों को दृष्टिगत रखते हुए जवाब प्रस्तुत करके नियमानुसार पैरवी करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 15.09.2025 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

12. निर्णय आज दिनांक 31.07.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

31/7/25

(मुरलीधर प्रतिहार)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा